तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	श्री चीकू राम पुत्र री बलाराम, 16 सांसी बस्ती, नया गांव, जिला पाली (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 27 / 2024 जीसीएमएस नं. :– 2024 / 38 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	

–: निर्णय :–

02.05.2024 1. पत्रावली आज पेश हुई । प्रत्यर्थी उपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 18.01.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक / रा.लो.सू.अ. / 19 / 2024 / 304 दिनांक 27.03.2024 इस न्यायालय को अवगत कराया कि वांछित सूचना तृतीय पक्षकार की होने से सम्बधित पक्षकार से सूचना प्रदान करने की सहमति चाही परन्तु तृतीय पक्षकार द्वारा उक्त संबंध में अपनी असहमति जताई व इस बाबत् अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 153 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा सूचित कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना नियम 08(1)(ज) में प्रकट किये जाने से छूट के अन्तर्गत आती है, जिससे सूचना नियमानुसार दिया जाना संभव नहीं है व इस बाबत् लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी व इस न्यायालय को भी अवगत करवा दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में किसी तृतीय पक्षकार की सूचना उसकी बगैर सहमति के दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली